कार्यालय निदेशक,पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या 1755 /सा0-1/एक्स-84(456)/2005 दिनांक: सितम्बर 19 ,2005

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषय- नये पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु मानक के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग भारत सरकार की संस्तुति अनुसार वर्ष 2000 अन्त तक प्रत्येक 5000 पशुधन संख्या पर एक पशु चिकित्सालय होना आवश्यक है परन्तु वर्तमान में प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कम-से-कम 15000 पशुधन संख्या पर एक पशु चिकित्सालय उपलब्ध हो जाय।

एक नये पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक के अनुसार एक नये पशु चिकित्सालय की स्थाापना से पूर्व यह सुनिश्चित् कर लिया जाय कि पहले से स्थापित पशुचिकित्सालय से कम-से-कम 9 कि0मी0 दूरी पर होना आवश्यक हैं।

अत:आप लोगो को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे अपने जनपद मे नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावों में उपरोक्त निर्देशानुसार मानक का अनुपालन करते हूये ही प्रस्ताव प्रस्तावित किये जायें।

उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन कड़ाई एंव तत्परता से सुनिश्चित करें।

(बी0पी0सिंह)
निदेशक।
पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

संख्या 1755 सा0-1/एक्स-84(456)/2005 दिनांक: सितम्बर, 19 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव (वित्त),उत्तर प्रदेश शासन।

(वी0पी0सिंह)
निदेशक,
पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ

- नवीन पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मा0 सांसद/मा0विधायक/जन प्रतिनिधि के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता की मांग एवं उच्च अधिकारियों के अपने क्षेत्रीय भ्रमण के सापेक्ष दिये गये निर्देशों के सापेक्ष प्रस्ताव तैयार किये जाते है।
- ***प्रश्नगत प्रस्ताव शासन भेजने से पूर्व शासन द्वारा निर्धारित निम्न विन्दुओं पर आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से प्राप्त की जाती है:-***

1- *प्रस्तावित गॉव के आस-पास 9 कि0मी0 की परिधि में कोई पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र या 'द' श्रेणी पशु औषधालय स्थापित है? अथवा नहीं।*

2- *प्रस्तावित गाँव में पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने में कुल कितना व्यय होगा? वर्तमान वित्तीय वर्ष में आय-व्ययक में उपलब्ध बजट/परिव्यय की स्थिति से अवगत करायें।*

3- *क्या प्रस्तावित गाँव में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कितनी? अभिलेखों सहित सूचना उपलब्ध करायी जाय।*

4- *प्रस्तावित पशु चिकित्सालय के खुलने से क्षेत्र में लगभग कितने पशु लाभान्वित होगें? पशुओं की संख्या मानक के अनुरूप है, अथवा नहीं।*

5- *क्या उक्त गाँव में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में विचार किया गया है? यदि नहीं, तो क्या आगामी वित्तीय वर्ष में पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव जिला योजना में सम्मिलित है?*

उपर्युक्त आख्या के आधार पर मानक पूर्ण करने वाले स्थानों पर नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु उपलब्ध बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाते हैं।

पशुचिकित्सालय/डी-श्रेणी औषघालय/पशुसेवा केन्द्रों के भवन किराये की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र का संशोधित प्रारूप-2012

1. पशुचिकित्सालय/डी-श्रेणी औषघालय/पशुसेवा केन्द्र का नाम.....
2. पशुचिकित्सालय/डी-श्रेणी औषघालय/पशुसेवा केन्द्र कहॉ पर स्थित है। शहरी क्षेत्र, कस्बा, टाउन एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में है, का उल्लेख किया जाय.....
3. 'कारपेट एरिया' का तात्पर्य भवन के 'फ्लोर एरिया' से है, जिसमें किचन,बाथरूम,मोटर गैरेज,गैलेरी तथा पैसेज के फ्लोर एरिया शामिल नही होगें। एरिया वर्गफुट में अंकित किया जाय.....
4. मंडल मुख्यालयों के जनपदों के लिए भवन किराया रू010/-प्रतिवर्गफुट,1.00लाख जनसंख्या से ऊपर के नगरों में भवन किराया रू08/-प्रतिवर्गफुट,1.00लाख जनसंख्या से कम नगरों में भवन किराया रू06/-प्रति वर्गफुट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन किराया रू02/-प्रति वर्गफुट आदि के अनुसार कुल धनराशि अंकित की जाय.....
5. भवन स्वामी यदि कमांक-4 में अंकित दरों से सहमत है, तो लिखा जाय और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी भवन स्वामी से लिया जाना अनिवार्य होगा...
6- मकान का नजरी नक्शा,लम्बाई/चौड़ाई एवं मानचित्र संबंधित संस्था के प्रभारी से प्रमाणित होना चाहिए। क्या नजरी नक्शा/मानचित्र संलग्न है, उल्लेख करें.....
7- 30-एच0 फार्म पर अनुबन्ध-पत्र संलग्न करें.....
8. भवन का किराया कितने अवधि के लिए स्वीकृत किया जाना है। अनुबन्ध पत्र के अनुसार उल्लेख करें.....
9. भवन किराया किस तिथि से स्वीकृत किया जाना है, उल्लेख करें.....
10. अनुबन्ध की अवधि में यदि शासन द्वारा किराये में वृद्वि कर दी जाती है, तो वह वृद्वि भवन स्वामी को अनुबन्ध समाप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य की जा सकेगी। भवन स्वामी इससे से सहमत है तो उल्लेख करें.....

संलग्नकों की संख्या.....

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.....